कार्यालय आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग,उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– सी–0016/बजट /2017–2018 लखनऊ :: दिनांक :: 09 .अगस्त,2017

5348/xl/17
09/8/17

आहरण वितरण अधिकारी,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित करने विषयक आपके पत्र संख्या–123/स्था0–4/2017–2018 दिनांक 30.06.2017का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

शासनादेश संख्या–5/2017/349/38–3–2017–1101/2017 दिनॉक 27.अप्रैल,2017 व शासनादेश संख्या 6/2017/1214/38–3–2017–1101/2017 दिनॉक 04.अगस्त,2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–विकास आयुक्त(मुख्यालय) के अन्तर्गत प्राप्त कुल स्वीकृति रू0 16,28,92,000.00(रू0 सोलह करोड़ अठ्ठाईस लाख बयान्बे हजार मात्र) के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में संलग्न एलाटमेंट ग्रिड संख्या–001–C-0016-Budget-2017-18 दिनांक 09.08.2017 में दिये गये विवरण के अनुसार रूपये 9,52,91,000.00(रूपये नौ करोड़ बावन लाख इक्यान्बे हजार मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु निम्न शर्तो के अधीन आपको आवंटित की जाती है

1– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमें व्यय करने के पहले स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये ।

2– आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते समय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का कडाई से पालन किया जाये। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मानक मद में व्यय आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो ।

3– इसके अतिरिक्त वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–1195/दस –16/94 दिनॉक 06 जून,1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–8/2017/बी–1--1190/दस–2017–231/2017 दिनांक 03.अगस्त,2017 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– मानक मद 46 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि की उपयोगिता हेतु कम्प्यूटर कय व सम्बंधित कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय के तकनीकी स्पेशीफिकेशन के निर्धारणोपरान्त शासन से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाय।

5– आवंटित धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम" के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक /प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6– उपर्युक्त आवंटन की प्रविष्टि सम्बंधित केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 86 पर अंकित कर ली गयी है।

आपसे अनुरोध है कि मासिक व्यय विवरण (बी0एम0–4)डी0डी0ओ0 रिकन्सिलिएशन शीट सहित आहरण के अगले माह की 10 तारीख तक बजट अनुभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

A.C.(S)

पत्रांक– /बजट(1)/2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ,उत्तर प्रदेश।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3– विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–3 ।
4– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 ।
5– संयुक्त आयुक्त,ग्रा0वि0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6– उपायुक्त(नजारत),ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश।
7– गार्ड फाइल हेतु।

(बी0 के भार्गव)
संयुक्त आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त(वित्त)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

श्री अवस्थी
11/8/17
A.C.

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-09/08/2017

प्रेषण संख्या:- 001-C.0016.Budget.2017.18
आवंटन आदेश संख्या:- 001-C.0016.Budget.2017.18
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - विकास आयुक्त(मुख्यालय)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/ जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	07-मानदेय	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	18-प्रकाशन	29-अनुरक्षण	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45-अवकाश यात्रा व्यय	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	51-वर्दी व्यय	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2252-सहा0 विकास आयुक्त , लखनऊ-01–	वर्तमान प्रगामी	68251000 122076000	4634000 7325000	408000 700000	117000 200000	4270000 7320000	58000 100000	1517000 2600000	583000 1000000	58000 100000	204000 350000	5833000 10000000	175000 300000	6000 10000	6000 10000	58000 100000	58000 100000	500000 500000	6000 10000	641000 2100000	117000 200000	7791000 7791000	95291000 162892000
	योग	वर्तमान प्रगामी	68251000 122076000	4634000 7325000	408000 700000	117000 200000	4270000 7320000	58000 100000	1517000 2600000	583000 1000000	58000 100000	204000 350000	5833000 10000000	175000 300000	6000 10000	6000 10000	58000 100000	58000 100000	500000 500000	6000 10000	641000 2100000	117000 200000	7791000 7791000	95291000 162892000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ बावन लाख इकानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ अठाईस लाख बानवे हजार

(कमलेश कुमार)
अपर आयुक्त- वित्त